फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री राहुल जैन पिता निर्मल कुमार जैन निवासी 42 प्रताप नगर, झालरबावडी, रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 59/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/04/21	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राहुल जैन पिता निर्मल कुमार जैन निवासी 42 प्रताप नगर, झालरबावडी, रावतभाटा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 24.02.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पं. स. भैंसरोड़गढ़ को प्रस्तुत किया जिस पर लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पं. स. भैंसरोड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पं. स. भैंसरोड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, झालरबावडी से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पं. स. भैंसरोड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षैत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। नि[illegible]ति संबंधित को प्रेषित की जावे। (तारा [illegible] मीणा) [illegible] सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला क[illegible] चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:17:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official